न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 13/21 तारीख दायर 20/10/21 तारीख फैसला 20/01/2022

दरम्यान –

01. तेजपाल पुत्र लक्ष्मीचन्द
02. दीपक पुत्र श्यामलाल निवासीगण नंगलिया तहसील टपूकडा जिला अलवर
03. दीवानसिंह पुत्र उमराव निवासी सिपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर
04. नरेश पुत्र मामचन्द निवासी नंगलिया तहसील टपूकडा जिला अलवर
05. पुष्पा पुत्री गिरधरसिंह निवासी कोनार्क ओएसिस भिवाडी
06. धर्मवीर पुत्र ताराचन्द निवासी भिवाडी जिला अलवर
07. विजयदेवी पत्नी हरिसिंह निवासी ग्राम नंगलिया तहसील टपूकडा जिला अलवर
08. वीरपाल पुत्र मामचन्द निवासी नंगलिया तहसील टपूकडा जिला अलवर
09. शीशाराम पुत्र श्री भगवाना निवासी ग्राम भिवाडी जिला अलवर
10. सुनील लोहिया पुत्र विजयपाल निवासी आशियाना विलेज भिवाडी जिला अलवर

———:: प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, टपूकडा जिला अलवर (राज0)

———:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 234/566 रकबा 1.26 है0, 234/567 रकबा 1.26 है0, 234/568 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 29.42 है0 का बहुत बडा रकबा था जिसमें से हाल आराजी खसरा नम्बर 234/566 रकबा 1.26 है0, 234/567 रकबा 1.26 है0, 234/568 रकबा 1.26 है0 प्रार्थीगण ने अलोटशुदा खातेदारान से जरिये रजि. बयनामा खरीद किया है और बयनामा के अनुसार प्रार्थीगण के हक में विधि अनुसार इंतकाल दर्ज व मंजूर होकर राजस्व रिकार्ड में अमल आया है। पूर्व अलौटी/खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 234 में से राज्य सरकार को जहां कब्जा व दखल अपने अपने भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड के ट्रैस नक्शा में हम प्रार्थीगण के कब्जा व दखल के विपरित जाकर नक्शा पैमुद किया गया है। जबकि हाल आराजी खसरा नम्बर 234/566 रकबा 1.26 है0, 234/567 रकबा 1.26 है0, 234/568 रकवा 1.26 है0 जो कि रीको विभाग की आराजी के साथ लगता हुआ है जहां प्रार्थीगण काबिज व दाखिल है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा विधि विरूद्व तरीके से जो ट्रैस नक्शा खिलाफ मौका जाकर पैमुद किया है, जो नक्शा कतई गलत है, जो मिन प्रार्थीगण के हकूकों के खिलाफ प्रारम्भ से बातिल व बेअसर है, प्रभाव शून्य है, जिसे बातिल वो बेअसर करार दिलाकर नक्शा को शुद्व कराकर मौके अनुसार नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः हाल आराजी खसरा नम्बर 234/566 रकबा 1.26 है0, 234/567 रकबा 1.26 है0, 234/568 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर ट्रैस नक्शा पैमुद किया है, जो मिन प्रार्थीगण के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है। मिन प्रार्थीगण, जो अपनी उक्त खातेदारी भूमि जो रीको विभाग की भूमि के साथ लगती हुई, कर काबिज व दाखिल होने के आधार पर नक्शा को दुरूस्त कर सही नक्शा पैमुद करवाया जावें।

पत्रावली पर तहसीलदार टपूकडा की रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार टपूकडा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 234/566 रकबा 1.26 है0, 234/567 रकबा 1.26 है0, 234/568 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर 612/234 के उत्तर की तरफ कटे हुये है। मौका मुकायना किया गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर उत्तर पश्चिम में आवंटित है 234/569, 234/570 से उत्तर की ओर कब्जा काश्त है मौके पर आराजी खसरा नम्बर 234/569 के उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 234/566, 234/570 के उत्तर में 234/568 एवं आराजी खसरा नम्बर 234/570 के पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 234/567 नम्बर स्थित है। वर्तमान में जहां खसरा नम्बर 234/566, 234/568, 234/567 नक्शा लठ्ठा में तितम्बा काटा गया है, भूमि मौके पर खाली है। काई काश्त नहीं हो रही है एवं काश्तकार का मौके पर कब्जा 234/569, 234/570 के उत्तर में व पूर्व में उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट अनुसार पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार टपूकडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 234/566 रकबा 1.26 है0, 234/567 रकबा 1.26 है0, 234/568 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम चौपानकी तहसील टपूकडा के नक्शा ट्रैस में संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाके ग्राम चौपानकी तहसील टपूकडा के आराजी खसरा नम्बर 234/569 के उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 234/566, 234/570 के उत्तर में 234/568 एवं आराजी खसरा नम्बर 234/570 के पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 234/567 को तहसीलदार टपूकडा द्वारा प्रस्तुत ट्रैस नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०